रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 132] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 7, 1975/आषाढ़ 16, 1897

No. 132] NEW DELHI, MONDAY, JULY 7, 1975/ASADHA 16, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

RESOLUTION

New Delhi, the 7th July 1975

RESEARCH & DEVELOPMENT IN CEMENT INDUSTRY

No. 5-9/74-Cem.—In para 7 of their Resolution No. 1-10/74-Cem. dated the 1st August, 1974 on cement prices, the Government of India accepted the recommendation of the Tariff Commission that an element of 50 paise per tonne included in the ex-works price of cement should be required to be deposited by each producer in a separate "Research Account" with the Central Government to be utilised for assisting the Cement Research Institute of India and other research organisations for undertaking 'Research and Development' work in the interest of cement industry as a whole. All the cement manufacturers were accordingly directed to contribute to the 'Cement Research Account' an amount of 50 paise per tonne with effect from the 2nd August, 1974, the date from which the ex-works price of the existing units was re-fixed on the basis of the recommendations of the Tariff Commission. Government of India have also since issued instructions that the above 'Research Account' should be opened and operated by the Director, Cement Research Institute of India on behalf of the Department of Industrial Development and that the Cement Research Institute may continue to utilise funds out of this 'Research Account' to the extent of 10 paise per tonne as heretofore.

2. It has now been decided that the utilisation of the balance of 40 paise per tonne accruing in the above 'Research Account' should be directed by a Committee of Direction, and that this Committee should examine and approve specific projects and programmes sponsored by the Cement Research Institute of India or other approved research organisations for undertaking 'research and development' work in the interest of cement industry as a whole and sanction such funds as may be necessary for the purpose out of the accruals in the 'Cement Research Account'. Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies have accordingly decided to constitute the following Committee for this purpose:

Chairman

1. Secretary, Deptt. of Industrial Development.

Members

2. Secretary, Deptt. of Science & Technology or his nominee.
3. Director General, Council of Scientific and Industrial Research or his nominee.
4. Chairman, Cement Research Institute of India.
5. President, Cement Manufacturers' Association, Bombay.
6. A person from the Cement Industry to be nominated by the Government of India.
7. Joint Secretary in the Deptt. of Industrial Development dealing with cement industry.

Member-Secretary

8. Director, Cement Research Institute of India.

The Committee will lay down its own procedures.

3. The transactions in the "Research Account" shall be subject to same procedures, as to accounting and audit, as applicable to the Cement Research Institute. The Committee of Direction shall submit to the Government, after the close of each financial year, a report on the working of the research and development programmes, along with a certified statement of accounts.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 7 जुलाई 1975

सीमेन्ट उद्योग में अनुसंधान और विकास

सं० 5-9/74-सीमेन्ट.—भारत सरकार ने सीमेन्ट के मूल्यों के सम्बन्ध में अपने दिनांक 1 अगस्त, 1974 के संकल्प संख्या 1-10/74-सीमेन्ट के पैरा 7 के अनुसार प्रशुल्क आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली थी जिसमें सीमेन्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ इन्डिया और अन्य अनुसंधान संगठनों की सहायता करने और समस्त सीमेन्ट उद्योग के 'अनुसंधान और विकास' के हित में उपयोग करने के लिए केन्द्र सरकार के पास प्रत्येक उत्पादक द्वारा अलग से एक 'अनुसंधान खाता' खोला जाएगा जिसमे उनके लिए सीमेन्ट के कारखाने से बाहर निकलते समय के मूल्य में समाविष्ट 50 पैसे प्रति टन की रकम जमा करना आवश्यक होगा। तदनुसार सभी सीमेंट निर्माताओं को निदेश दिये गये थे कि वे 1 अगस्त, 1974 से, अर्थात् वह

तिथि जिससे कि प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के आधार पर विद्यमान एककों में कारखाने से बाहर निकलते समय के मूल्य पुनः निश्चित किए गए थे, सीमेंट अनुसंधान खाते (सीमेन्ट रिसर्च एकाउन्ट) में प्रति टन 50 पैसे की रकम जमा करना है। सरकार इस सम्बन्ध में भी निदेश जारी कर चुकी है कि उपर्युक्त 'अनुसंधान खाता' औद्योगिक विकास विभाग की ओर से निदेशक, सीमेन्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया द्वारा खोला और चलाया जायेगा और इस 'अनुसंधान खाते' में से सीमेन्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट जैसा कि अभी तक है, 50 पैसे प्रति टन के हिसाब से इस निधि का उपयोग करता रहेगा।

2. अब यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त 'अनुसंधान खाते' की शेष 40 पैसे प्रति टन की रकम के उपयोग का निदेशन एक निदेशक समिति (कमेटी आफ डायरेक्शन) द्वारा किया जायेगा। यह समिति सीमेन्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया अथवा अन्य स्वीकृत रिसर्च संगठनों द्वारा समग्र रूप से सीमेन्ट उद्योग के हित में हाथ में लिये जाने वाले 'अनुसंधान और विकास' के कार्यों की जांच करेगी और उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट परियोजनाओं और कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करेगी और सीमेन्ट अनुसंधान खाते (सीमेन्ट रिसर्च एकाउन्ट) की जमा राशि में से इस उद्देश्य के लिए यथा आवश्यक रकम की स्वीकृतियां प्रदान करेगी।

तदनुसार भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय ने निम्नलिखित समिति के गठन करने का निर्णय लिया है:—

अध्यक्ष

1. सचिव,
   औद्योगिक विकास विभाग

सदस्य

2. सचिव,
   विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, अथवा उसका नामित
3. निदेशक,
   वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान, परिषद अथवा उनका नामित
4. चेयरमैन,
   सीमेन्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ इन्डिया
5. अध्यक्ष,
   सीमेन्ट मेन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन, बम्बई
6. सीमेन्ट उद्योग से एक व्यक्ति, भारत सरकार द्वारा नामित
7. औद्योगिक विकास विभाग का संयुक्त सचिव,
   सीमेन्ट उद्योग से सम्बन्धित

सदस्य/सचिव

8. निदेशक सीमेन्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ इन्डिया

समिति अपनी कार्यविधि स्वयं बनायेगी।

3. 'अनुसंधान खाते' के सम्बन्ध में सीमेन्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट के लेखे और लेखा परीक्षक वाली कार्य विधि लागू होगी। निदेशन समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के कार्यकरण पर एक प्रमाणित (सर्टीफाइड) लेखा विवरण देते हुए सरकार को एक रिपोर्ट पेश करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सभी सम्बन्धितों को इस संकल्प की एक प्रति भेजी जाये तथा उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

डी० के० सकसेना, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975